अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगेस्टर सत्र परीक्षण संख्या–3061/2023
उत्तर प्रदेश राज्य बनाम भूरा आदि

धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट
थाना बन्ना देवी, जिला अलीगढ़

30–05–2024

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर अभियुक्त राजवीर सिंह, मोहन सिंह, बिट्टू भारती, हिमांशु कुमार, उमेश कुमार, योगी चौधरी उर्फ योगेश, जीतू उर्फ दीपक मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

अभियुक्त भूरा उर्फ रोहित का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। सुना, स्वीकृत।

अभियुक्त प्रदीप व योगेन्द्र द्वारा वारण्ट रिकाल प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि मामले में नियत दिनांक 30–4–2024 अचानक बीमार हो जाने के कारण वे न्यायालय उपस्थित नहीं आ सके। उनके विरूद्ध महज एक तिथि का वारण्ट है, जिसके आधार पर वारण्ट निरस्त किये जाने का कथन किया गया। जिसके अनुक्रम से अभियुक्तगण प्रदीप व योगेन्द्र को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्तगण प्रदीप व योगेन्द्र के विरूद्ध मात्र एक तिथि का वारण्ट होने के आधार की पर्याप्तता के अनुक्रम से प्रार्थना पत्र स्वीकृत करते हुए नियत दिनाक पर अनिवार्य रूप से उपस्थिति की शर्त तथा अन्य तिथियों पर स्वयं व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहने की अंडर टेकिंग दाखिल करने व प्रत्येक अभियुक्त द्वारा **एक लाख रूपये** का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करने पर उनके विरूद्ध जारी गैर जमानतीय वारण्ट निरस्त किया जाता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

अभियुक्त कुलदीप के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र की आदेशिका जारी हो।

अतः पत्रावली वास्ते हाजिरी मुल्जिम दिनांक **26–06–2024** को पेश हो।

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.05.30 16:53:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court